न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2014

अपीलान्ट :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1. मथुराई पुत्री सूजाराम जाति-जाट,निवासी-गरनिया तह०-जैतारण (जिला-पाली)		1. सरपंच, ग्राम पंचायत-गरनिया तह०-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत गरनिया ना०सं० 511 दिनांक 11/06/1996

तारीख रजू:.08.12.2014

उपस्थितः- 1. अपीलान्ट मय श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण रूकमा व शोभा।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 21/05/2015

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गरनिया, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में अपीलान्ट के पिता सुजाराम पुत्र भीकाराम के नाम से खसरा नम्बर 10 रकबा 82-00 बीघा आई हुई हैं। जिसमें अपीलान्ट के पिता का 1/2 हिस्सा बनता हैं। उक्त आराजी अपीलान्ट की पिता सुजाराम की पैतृक पुश्तैनी हैं, जो अपीलान्ट के पिता की कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी, जो अपीलान्ट ने अपनी समझ से ही उक्त खसरान् की भूमि में अपने माता-पिता का कब्जा काश्त देखा हैं। उक्त खसरान् की भूमि में अपीलान्ट के पिता की 1/2 हिस्से पर खातेदार कब्जा काश्त थी। उक्त खसरान भूमि अपीलान्ट के पिता सुजाराम के देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के उनके वारिसान के नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज होना था, जो दर्ज नहीं होकर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज व बिना वारिसान की जांच किये मात्र तथाकथित आधारों पर सरपंच व पटवारी से मिलीभगत कर पारित किया गया हैं, जो गलत व विधि विरूद्ध होने से खारिज कर दुरूस्त योग्य हैं। अपीलान्ट के पिता सूजाराम पुत्र भीका की मृत्यु होने के बाद के वारिसान सूजाराम (फौत), भोलाराम (फौत) एवं पेमाराम हुए। सुजाराम (फौत) की पत्नि जिमनाई, पुत्रगण बगदाराम, रतनलाल हुए एवं पुत्रियाँ मथुराई, संतोष, गीता एवं गणकी हुई। उक्त वंश वृक्षावली अनुसार उक्त सूजाराम के वारिसान हैं, जो माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सूजाराम की मृत्यु होने के बाद अपील में वर्णित कृषि भूमि का म्यूटेशन जिमनाई बगदाराम व रतना, मथुराई संतोष गीता व गणकी के नाम भरा जाना चाहिये था। लेकिन बगदाराम जिमनाई व रतनलाल ने म्यूटेशन संख्या 511 दिनांक 11/06/1996 को तत्कालीन पटवारी व सरपंच से मिलीभगत कर अपने नाम से ही स्वीकृत कर दर्ज करवा लिया था, जो कि गलत व गैरकानूनी हैं। क्योंकि सूजाराम के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में उक्त लिखी वंश वृक्षावली के अनुसार सभी वारिसानों का नाम आना जरूरी था। जबकि रतनलाल, जिमनाई व बगदाराम ने अन्य वारिसानों की जमीन को हड़पने की नियत से जरिये म्यूटेशन संख्या 511 दिनांक 11/06/1996 के अपने नाम करवा ली तथा पटवारी हल्का द्वारा बिना सूजाराम के वारिसानों की जांच किये बाले-बाले ही मात्र बगदाराम, रतनलाल व जिमनाई के नाम उनकों फायदा पहुंचाने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की नियत से विधि विरुद्ध तरीके से मिलीभगत कर उक्त म्यूटेशन संख्या 511 उनके नाम से स्वीकृत किया हैं, जो गलत व गैरकानूनी हैं, जिसे अपास्त किया जावें। अपीलान्ट द्वारा 29/10/2014 को जमाबन्दी एवं म्यूटेशन नकल देखने पर पता चला कि म्यूटेशन संख्या 511 में उनके पिता के फौतेदगी म्यूटेशन में उनके वारिसानों में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया हैं, तब दिनांक 29/10/2014 को म्यूटेशन की नकल प्राप्त की एवं अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की हैं। म्यूटेशन संख्या 511 की सही जांच नहीं कर अपीलान्ट के विधिक अधिकारों के विरुद्ध भरा गया हैं, जो जालसाजी, धोखाधड़ी एवं कपटपूर्वक उक्त म्यूटेशन में पटवारी, सरपंच से मिलीभगत कर अपीलान्ट का नाम शेष रख दिया, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाना आवश्यक हैं। अपीलान्ट ने दिनांक 29/10/2014 को म्यूटेशन की नकलें प्राप्त करने पर अपने नाम का इन्द्राज नहीं होने की जानकारी होने पर दिनांक 29/10/2014 को नामान्तरकरण संख्या 511 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं उक्त म्यूटेशन में अपनी माता नरूड़ी का नाम दर्ज नही होने का अंकन देखकर जानकारी प्राप्त हुई, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की अपील पेश की हैं। अपीलाधीन निर्णय आदेश दिनांक 11/06/1996 के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 511 रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी विधिक वारिसानों की जांच किये एवं बिना तथ्यों की जांच किये केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बताये अनुसार पारित किया गया हैं, जो रेस्पोडेन्ट ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया हैं, जिससे काबिल खारिज के हैं। अपीलान्ट सुजा के विधिक वारिसान हैं, जिसकी उक्त भूमि में पैतृक पुश्तैनी हक हिस्सा व अधिकार निहित हैं एवं अपने हक हिस्से की भूमि के अधिकारी हैं। परन्तु गलत म्यूटेशन पारित करने व अपीलान्ट की माता का हक व हिस्सा बदनियतिवश प्राप्त करने के आधार पर म्यूटेशन संख्या 511 पारित किया गया हैं। म्यूटेशन संख्या 511 पटवारी व सरपंच ने मिलीभगत कर अपीलान्ट को नुक्शान पहुंचाने की नितय से भरा गया हैं, जबकि उक्त पैतृक व पुश्तैनी सम्पति में अपीलान्ट का हित निहित हैं। म्यूटेशन में अपीलान्ट का नाम नहीं भरकर नामानतरकरण किये जाने के बाद गलत एवं विधि विरुद्ध होने से उसको नुक्शान होने से एवं क्षति होने से खारिज होने योग्य हैं, जिसे खारिज किया जावें। उक्त म्यूटेशन विधि विरुद्ध एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से बिना विधिक अधिकारों की जांच किये जालसाजी पूर्वक एवं षड़यंत्र व साजिस रचकर पटवारी, सरपंच व अन्य लोगों की मिलीभगत से अपीलान्ट व उसके पिता की पुश्तैनी जमीन हड़पने एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति से महरूम करने की नियत से भरा गया हैं, जिसे खारिज कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण किया जावें। अपीलान्ट स्वर्गीय सुजा की मृत्यु के बाद उसके हक हिस्से पर एवं अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने के कारण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त हैं। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 11/06/1996 को म्यूटेशन गलत तथ्यों के आधार पर पारित कर दिया था। इसलिये दिनांक 11/06/1996 से दिनांक 29/10/2014 की अवधि को कण्डोन कर इस अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अपील श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार राजस्व अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, शपथ–पत्र मय दस्तावेजात पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने ना०सं० 511 दिनांक 11/06/1996 खारिज किये जाने तथा पिता सूजा के विधिक वारिसानों की जांच करके विधिक नामान्तरकरण पारित किये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो० जरिए सम्मनस तलब किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गया। प्रार्थीगण रूकमा व शोभा की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 16/03/2015 को पेश किया, सा0मि0 हो। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पेश करने का दिनांक 05/01/2015 से लगातार अवसर दिये जाने पर भी प्रस्तुत नहीं करने से अवसर दिनांक 21/05/2015 को समाप्त किया जाता है। सरपंच, ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र दिनांक 21/05/2015 प्रस्तुत किया कि स्व0 सूजाराम के विधिक वारिसान जिमनाई बगदाराम मथुराई सन्तोष रतनलाल गीता व गणकी हैं जो क्रमशः पत्नि, पुत्र व पुत्री हैं, के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने में ग्राम पंचायत गरनिया की कोई आपति नहीं है, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम दस्तावेजात एवं अनापति प्रमाण-पत्र दिनांक 21/05/2015 का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वकुलाय सुनी गई। राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर-गरनिया में जानकारी भी प्राप्त की गई। वस्तुतः सूजा फौत हो चुका हैं, किन्तु उनके उत्तराधिकारी बगदाराम रतनाराम पि0 सूजा तथा जमनाई बेवा सूजा के अतिरिक्त पुत्रियाँ मथुराई सन्तोष गीता व गणकी होना सरपंच गरनिया द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र से बखूबी साबित हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, ना0सं0 511 दिनांक 11/06/1996 खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, जैतारण को सूजा के विधिक वारिसानों की जांच करके विधिक नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा पारित ना0सं0 511 दिनांक 11/06/1996 को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि सरहद मौजा- गरनिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 10 रकबा 82-00 बीघा किस्म चा0सो0 भूमि में मृतक सूजा के विधिक वारिसानों की विधिक जाँच करके विधिक नामान्तरकरण नये सिरे से पारित करें। तहसीलदार, जैतारण को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 21.05.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर-अदल सेवा केन्द्र - गरनिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner